

सहमती  
09 MAR 2023  
2/3  
13/3/23

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग  
एफ.3(4)आ.प्र.एच.सहा.स्था./2012 - 3026 30 जयपुर विभाग

प्रशासनिक स्वीकृति

वित्त विभाग की सहमति दिनांक 01.03.2023 के अनुसरण में राज्य के समस्त जिलों के वित्त जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मूद्रीकृत वित्त विभाग विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किए जाने, विभिन्न आपदाओं में सम्बंधित ऑनलाइन किए जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग प्रति हस्त एग्जिन्सी के माध्यम से 01-01 कम्प्यूटर मय ऑपरेंटर रखे जाने की संबंधित सेवाओं की प्रवधि निम्नलिखित दिनांक 02.2024 तक निम्नलिखित शर्तों के अंगीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

- 1 यह स्वीकृति वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 में अंगीन होगी।
- 2 वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफ.सी./2017 दिनांक 04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आदेश क्रमांक एफ.2(1) 2012/आर.टी.टी.पी. निरम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित किया जायेगा।  
उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राधारित होगा -  
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत  
01- सूखा  
800- अन्य व्यय  
(03)- (राहत कार्यों पर व्यय)  
(07)- [प्रशिक्षण-व्यय]  
29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (भुगतान), आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

शासन उप सचिव

Signature valid

Digitally signed by Deependra Kumar J.,  
Designation : Deputy Secretary, T  
Government  
Date: 2023.03.09 11:29:43 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, भीलवाड़ा

क्रमांक : सहायता / संविदा / 2023-24 / 83186

मैसर्स हनी ट्रेडर्स  
35, माधव नगर भीलवाड़ा  
मो.नं. 94131-10128

दिनांक: 18/9 /2023

**विषय:-** जिला कलक्टर कार्यालय कम्प्युटर ऑपरेटर रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि के संबन्ध में।  
**संदर्भ :-** आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक 3026-30 दिनांक 09.03.2023 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति।

उपरोक्त आदेश/पत्रांक के क्रम में इस कार्यालय के लिए जिला ऑपरेशन सेण्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सुदृढीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किए जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किए जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु 01 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 30.11.2023 अथवा नवीन दर संविदा होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाई जाती है।

Gm.  
अति.जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा